

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौकरिया, RAS

अपील संख्या 131/2015

1 श्रीराम जोशी आयु 56 वर्ष पुत्र महावीर प्रसाद जोशी जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल 506 प्रतीक कूज जी.एच.11, सेक्टर 21 सी. फरीदाबाद (हरियाणा)।

अपीलांट

बनाम

- 1 मुरारीलाल पुत्र रामदत्त जोशी मृतक।
- 1/1 राजेश कुमार पुत्र मुरारीलाल जोशी।
- 2 नटवरलाल पुत्र रामदत्त जोशी।
- 3 सावित्री पुत्री रामदत्त जोशी।
- 4 गायत्री पुत्री रामदत्त जोशी।
- 5 नरोत्तम पुत्र विश्वनाथ जोशी।
- 6 राजेन्द्र पुत्र विश्वनाथ जोशी।
- 7 योगेश पुत्र विश्वनाथ जोशी।
- 8 निर्मला पुत्री विश्वनाथ जोशी।
- 9 शीला देवी पुत्री विश्वनाथ जोशी।
- 10 शशी देवी पुत्री विश्वनाथ जोशी।
- 11 वृजभूषण पुत्र बनवारीलाल जोशी।
- 12 शशिभूषण पुत्र बनवारीलाल जोशी।
- 13 विमला देवी पुत्री बनवारीलाल जोशी।
- 14 चन्द्रशेखर (मृतक)।
- 14/1 जुगल पुत्र चन्द्रशेखर।
- 14/2 कमल पुत्र चन्द्रशेखर।



AdL

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

- 15 नन्दकिशोर पुत्र मुरलीधर।
- 16 श्रकृष्ण पुत्र मुरलीधर।
- 17 उपेन्द्र पुत्र श्यामसुन्दर।
- 18 सम्पत पुत्र मुरलीधर।
- 19 रामनिरंजन पुत्र मुरलीधर।
- 20 चकपानी पुत्र मुरलीधर।
- 21 विनोद पुत्र मुरलीधर समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण नवलगढ़ रोड़ करवा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
- 22 श्री भगवान पुत्र महावीर प्रसाद जोशी जाति ब्राह्मण निवासी करवा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल भरतिया कॉलोनी रोड़ साहियगंज झारखण्ड।
- 23 पटवारी हल्का लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
- 24 तहसीलदार उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
- 25 जिला कलेक्टर महोदय सीकर जिला सीकर।

रेसपोर्ट



अपील विरुद्ध आदेश दिनांकित 10.07.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ शीर्षक श्रीराम जोशी वनाम मुरारीलाल आदि प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 28/2014 पीठासीन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस.

उपरिस्थिति :

3. श्री प्रमोद कुमार मोदी, अधिवक्ता अपीलांत
4. श्री महेश जांगिड़, अधिवक्ता रेसपोर्ट


-निर्णय-

दिनांक:-18.10.23

ADL
 सू.प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 28/2014 में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है अपीलार्थी/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि लक्ष्मणगढ़ की तन भूमि खसरा नम्बर 660 एवं 661 अवस्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 के पूर्वज नागाजी उर्फ नाग जोशी के कब्जे, खुदकाशत व खातेदारी अधिकार की रही है। उक्त नाग जोशी के दो पुत्र मन्नालाल व श्योनन्दराय हुये। श्योनन्दराय के उत्तराधिकारी राजस्थान काशतकारी अधिनियम प्रभावशील होने के समय ही अपना हक हिस्सा छोड़कर अन्यत्र चले गये तथा दशको से इनके उत्तराधिकारियों से कोई सम्पर्क नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत आराजीयात मूल खातेदार काशतकार के पुत्र मन्नालाल के एकाकी कब्जे, काशत में तथा इनके पश्चात इनके उत्तराधिकारीगण रामदत्त व सीताराम के समभाग कब्जे, काशत में रही। वादी व प्रतिवादी संख्या 22 प्रश्नगत आराजीयात के 1/2 भाग के खातेदार सीताराम के उत्तराधिकारीगण है। सीताराम के एक मात्र उत्तराधिकारी वादी व प्रतिवादी संख्या 22 के पिता महावीर प्रसाद जोशी हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 21 प्रश्नगत आराजीयात के 1/2 भाग के हिस्सेदार रामदत्त जोशी के उत्तराधिकारीगण बताये गये है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम प्रभावशील होने के पश्चात राजस्व कर्मीयो द्वारा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी गलत रूप से एकाकी रातदत्त जोशी के नाम अंकित कर दी गई। उक्त गलत व प्रदर्शनी खातेदारी के आधार पर हाल ही में नामान्तकरण संख्या 3960 दिनांकित 20.06.2013 के द्वारा सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 के नाम अंकित हो गई। उक्त खातेदारी व विरासत के आधार पर स्वीकृत उक्त नामान्तकरण वादी के विधिक अधिकारो की अपेक्षा अवैध, शून्य व प्रभावहीन है। वादी प्रश्नगत आराजीयात के 1/4 भाग का खातेदार काशतकार है। वादी वर्तमान




(22)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खातेदारी को निरस्त करवाकर उक्त आशय की उद्घोषणा करवाने का वैध अधिकारी है। उक्त प्रकार के कथन करते हुये अपीलार्थी/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में सहायता चाही गई कि आराजीयात मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 22 को संयुक्त रूप से खातेदार काशतकार उद्घोषित किया जावे। शेष 1/2 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 के विरासतन हक हिस्सेनुसार राजस्व प्रलेखो में अंकित करवायी जावें। वर्तमान खातेदार निरस्त उद्घोषित की जावे व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे प्रश्नगत उक्त आराजीयात को किसी भी रूप में खुर्द बुर्द नही करें। उक्त वाद प्रस्तुत होने पर वाद को पंजीवद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये, लेकिन कोई जवाबदावा पेश नही किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 21 वावजूद तामिल अनुपस्थित रहे। प्रकरण मे केवल प्रतिवादी संख्या 22 की तामिल शेष थी। दिनांक 16.04.2015 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 22 की तामिल के लिये आगामी दिनांक 12.05.2015 नियत की गई और दिनांक 12.05.2015 को उक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 22 की तामिल के लिए ही आगामी दिनांक 14.07.2015 नियत की गई। आदेशिका के अनुसार उक्त प्रतिवादी संख्या 22 के नाम दिनांक 14.05.2015 को रजिस्टर्ड डाक से तामिल भेजी गइ। इस प्रकार प्रकरण में दिनांक 14.07.2015 वास्ते तामिल प्रतिवादी संख्या 22 हेतू नियत थी। विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये नियत तिथि से पूर्व विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली तामील में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने तामील पूर्ण किये बिना, जवाब दावा प्राप्त किये बिना, तनकी कायम किये बिना, उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त किये बिना, उभयपक्ष की बहस सुने बिना,


भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर




नियत तिथि से पूर्व पत्रावली को लोक अदालत में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल में निर्धारित विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पूर्व में प्रस्तुत वाद निर्णित हो चुका है। गुणावगुण पर वादी का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली तामील में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने तामील पूर्ण किये बिना, जवाब दावा प्राप्त किये बिना, तनकी कायम किये बिना, उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त किये बिना, उभयपक्ष की बहस सुने बिना, नियत तिथि से पूर्व पत्रावली को लोक अदालत में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में पक्षकारों को लोक अदालत में पत्रावली रखने का नोटिस दिये जाने का भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल में निर्धारित विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।


उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया की पालना कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण


भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्थान अपील अधिकारी
रीकर



पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12/10/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन 
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

